न्यायालय, भूमि सुधार उप समहार्त्ता, बुण्डू (राँची)

दाखिल खारिज अपील वाद संख्या–34 / 2018–19

वीणा महतो...अपीलार्थी

बनाम

अंचल अधिकारी, बुण्डू...प्रतिवादी

आदेश की क्रम सं. एवं तारीख	आदेश एवं पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गयी टिप्पणी तारीख सहित
28.07.18	अपीलार्थी वीणा महतो, पति–प्रदीप महतो, ग्राम–चैनपुर, डाकघर–जोजोहातु, थाना–अड़की, जिला–खूँटी (झारखण्ड) ने अंचलाधिकारी, बुण्डू के द्वारा नामांतरण मुकदमा सं०–317 R27 / 2017-2018 / बुण्डू में दिनांक–10 / 05 / 2018 को पारित आदेश के विरूद्ध यह अपील दायर किया है। जिसके द्वारा निम्न भूमि का नामांतरण अस्वीकृत किया गया।	

भूमि विवरणी

मौजा	थाना / थाना सं०	खाता सं०	खेसरा सं०	रकवा
बुण्डू	बुण्डू / 0028	1165	2505	06 डीसमील

अपीलार्थी को सुनकर सुनवाई हेतु इस अपील वाद को ग्रहण किया गया। अपीलार्थी द्वारा इस वाद में समर्पित निम्न न्यायालय द्वारा नामांतरण मुकदमा सं०–317 R27 / 2017-2018 / बुण्डू में दिनांक–10 / 05 / 2018 को पारित आदेश की प्रमाणित प्रतिलिपि एवं संलग्न दस्तावेजों का अवलोकन किया। अंचलाधिकारी, बुण्डू के प्रतिवेदनानुसार नामांतरण आवेदन ऑनलाइन प्राप्त है, जिसमें निबंधन तिथि गलत है। अतः इस स्थिति में नामांतरण अस्वीकृत किया गया है। अपीलार्थी द्वारा समर्पित दस्तावेजों के अवलोकनोपरांत ज्ञात होता है कि लिपिकीय भूल के कारण ऑनलाईन आवेदन में निबंधन संख्या गलत दर्ज हुआ एवं नामांतरण अस्वीकृत किया गया।

अतः उपरोक्त तथ्यों के आधार पर अपीलार्थी के आवेदन को स्वीकृत किया जाता है एवं अंचलाधिकारी, बुण्डू को इस निदेश के साथ प्रतिप्रेषित (REMAND) किया जाता है कि उक्त लिपिकीय भूल सुधार करते हुए अपीलार्थी को सुनकर उनके द्वारा समर्पित दस्तावेजों की जाँच पड़ताल करते हुए नए सिरे से विधि सम्मत आदेश पारित करना सुनिश्चित करेंगे।

इस आदेश की प्रतिलिपि को अंचल अधिकारी, बुण्डू को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित करें।

लेखापित एवं संशोधित।

Sd/- 28/07/18
भूमि सुधार उप समहार्त्ता,
बुण्डू(राँची)।

Sd/- 28/07/18
भूमि सुधार उप समहार्त्ता,
बुण्डू(राँची)।